

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. सत्यवीर यादव,
आर.ए.एस

अपील संख्या

64/2019

1. श्रीराम पुत्र श्री प्रभातीलाल उम्र वयस्क जाति महाजन निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 18/9/2019 उप तहसीलदार उप तहसील मनोहरपुर (शाहपुरा)
अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 24.7.20

अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मनोहरपुर उप तहसील मनोहरपुर द्वारा ग्राम मनोहरपुर के आ.ख.नं. 973/0.07 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.0025 है० भूमि पर अपीलान्त/गैर सायल को अतिक्रमण मानते हुए बेदखली के आदेश 18/9/2019 को निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय के विरुद्ध जरिये वकील अपील अपीलान्त द्वारा समक्ष इस न्यायालय पेश की है, जिसके विन्दुवार तथ्य निम्नभाति पेश किये है।

1. यह है कि पटवारी हल्का मनोहरपुर की गलत रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 18/9/2019 को निर्णय पारित किया है। ख.नं. 973 को गै.मु. रास्ता की भूमि रिकॉर्ड में गलत गै.मु. रास्ता दर्ज होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित किया है जबकि उक्त भूमि कभी भी गै.मु. रास्ता की भूमि नहीं रही है। मौके पर उक्त भूमि के अलावा उक्त भूमि के पूर्व में 40 फिट चौड़ा रास्ता तथा लम्बाई भूमि की नाप के अनुसार रास्ता है किन्तु उक्त तथ्य की अनदेखी करते हुए पटवारी हल्का द्वारा राजनैतिक व्यक्तियों के प्रभाव में आकर गलत रिपोर्ट पेश की है जिसके आधार पर बिना नाप जोख किये उप तहसीलदार द्वारा गलत निर्णय पारित किया है।
2. यह है कि अपीलाधीन भूमि ग्राम पंचायत में निहित राजकीय भूमि है, जिसके विरुद्ध उक्त निर्णय पारित किया है जबकि अपीलार्थीगण अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को गलत रूप से अतिक्रमी मानकर निर्णय दिनांक 18/9/2019 पारित किया है जबकि अपीलार्थी ने उक्त भूमि पर आवासीय भू-खण्ड पट्टाशुदा पैतृक है जो कि अपीलार्थी के पूर्वजों की अमल सम्पत्ति रही है, जिस पर उन्होंने पुखता मकान बना रखे है। उक्त सम्पत्ति का बंटवारा अपीलार्थी के पिता प्रभाती पुत्र महदेव सिंह ने जरिये लिखतम किया था जिसमें अपीलार्थी अपने हिस्से में आये भू-खण्ड में हमेशा से अपने परिवार सहित निवास व काबिज आबाद चला आ रहा है। अपीलार्थी ने लाखों रुपये लगाकर नई माफिर करायी है। ग्राम पंचायत से नल बिजली की NOC नियमानुसार शुल्क जमा कराकर कनेक्शन प्राप्त किया है, जिस पर अपीलार्थी काबिज रहकर निवास व व्यापार व्यवसाय करता आ रहा है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान न देकर गलत आदेश पारित किये हैं, जो अपारत किये जाने योग्य है, जबकि उक्त तथाकथित ख.नं. 973 की भूमि 60 वर्षों से भी अधिक समय से अपीलार्थी व उसके पूर्वजों के कब्जे की नगरपालिका से पट्टाशुदा भूमि रही है। इसके बाबत अपीलार्थी को साक्ष्य सङ्ग्रह पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया। उप तहसीलदार मनोहरपुर द्वारा दिनांक 18/9/2019 को गलत निर्णय पारित कर दिया तथा मौके से बेदखल करने के उचित आदेश पारित कर दिया।
3. यह है कि उक्त वर्णित भूमि पट्टाशुदा भूमि पंचायत की आवासीय भूमि रही है, जिसकी किस्म भू-प्रबन्ध विभाग ने गलत रूप से गै.मु. रास्ता दर्ज कर दी जो हमेशा से आवासीय भूमि रही है जो 60 वर्षों से अधिक समय से आवास निवास व्यवसाय के काम में रही है। उक्त वर्णित ख.नं. 973

जिला कलक्टर
जयपुर

- अपीलाधीनगी की कब्जे की भूमि रही है। उक्त वाणित भूमि की सीमाओं का ज्ञान कराये बिना अपीलाधीनगी की भूमि का भी उक्त भूमि में शामिल करते हुए गलत रिपोर्ट पेश की है, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार ने गलत आदेश पारित किये हैं जो अपारतनीय है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुए बिना तल्बी सुनवायी के निर्णय पारित किया है तथा पटवारी हल्का की लाईव में कोई बयान दर्ज नहीं किया जो प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है।
4. यह है कि अपीलाधीनगी की अपीलाधीन भूमि पर वनी दुकानों में मानव की जीवन रक्षक दवाईयां विक्रय कर मानव जीवन को जीवन में अति सहयोग प्रदान किया जाता है। उक्त दुकान अस्पताल के नजदीकतम ठीक सामने की दुकान है, जिसमें अस्पताल की सलाह पर मरीज की आपातकालीन अवस्था में दवाईयां दी जाती है। अपीलाधी की दुकान व्यवस्था को खरत कर दिया गया तो मानव जीवन व अपीलाधी को अति हानी होगी, जिस पर माननीय अधिनस्थ न्यायालय ध्यान ना देकर गम्भीर भूल की है। इस कारण अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जावे। अतः अपील मय शपथ-पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मनोहरपुर (शाहपुरा) द्वारा पारित आदेश 18/9/2019 को अपास्त फरमावे।
 5. अपीलान्त द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी बाद तामील सुचना के रेस्पोंडेन्ट की ओर से भी नरेश कुमार आत्रेय एडवाकेट उपस्थित आये।
 6. वकील अपीलान्त द्वारा एक प्रार्थना-पत्र 026 आर 9 सीपीसी का दिनांक 17/01/2020 को पेश किया जिसका जवाब रेस्पोंडेन्ट वकील द्वारा दिनांक 28/02/2020 को पेश होने पर उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुनवायी कर खारिज किया गया।
 7. वकील रेस्पोंडेन्ट/अप्रीधी द्वारा प्रकरण में जारी स्थगन आदेश 04/10/2019 की क्रियान्विति समाप्त करने बाबत दिनांक 28/02/2020 को निवेदन किया पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04/10/2019 को अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मनोहरपुर (शाहपुरा) के निर्णय 18/9/2019 की क्रियान्विति स्थगित किये जाने के आदेश दिये गये थे। उक्त जारी स्थगन आदेश 04/10/2019 पर उभय पक्षों को सुना जाकर स्टे आदेश बैकेट किया गया यानि इस न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश 04/10/2019 की क्रियान्विति समाप्त की गयी।
 8. प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 24/7/2020 नियत थी। वकील अपीलान्त द्वारा एक प्रार्थना-पत्र शीघ्र सुनवायी का पेश कर निवेदन किया गया कि प्रकरण उनवानी अर्जेन्ट नेबर एलआर एक्ट धारा 91 की कार्यवाही के विरुद्ध है। रेस्पोंडेन्ट के निवेदन पर स्थगन बैकेट किया जा चुका है। उक्त कार्यवाही में प्रार्थीगण/अपीलान्त के निर्माण को कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है, जबकि विवादास्पद भूमि से पट्टे जारी किये हुए है। इसलिए दिनांक 10/7/2020 को कोर्ट कैम्प शाहपुरा सुनवायी करने का श्रम करें। उक्त प्रार्थना-पत्र पेश होने पर उभय पक्षों को सुना जाकर शीघ्र सुनवायी प्रार्थना-पत्र दिनांक 10/7/2020 स्वीकार किया जाता है तथा उभय पक्षों की अन्तिम बहस सुनी गयी।
 9. वकील अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत की गयी बहस में अपील भीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वकथन किया है कि पटवारी हल्का मनोहरपुर (शाहपुरा) की गलत रिपोर्ट के आधार पर आराजी ख न 973/007 है 0 किस्म गै0मु0 रास्ता में से 0.0025 है0 पर प्रार्थी अपीलान्त का अतिक्रमण मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय उप तहसील मनोहरपुर (शाहपुरा) दिनांक 18/9/2019 को मौके से बेदखल करने में आदेश पारित कर दिये, जबकि उक्त भूमि कभी भी गै0मु0 रास्ते की नहीं रही है। मौके पर उक्त भूमि के अलावा उक्त भूमि के पूर्व में 40 फिट चौड़ा रास्ता तथा लम्बाई भूमि के नाप के अनुसार रास्ता है। उक्त भूमि ग्रा.पं. में निहित पट्टा पैतृक है, जो पूर्वजों की अचल सम्पत्ति रही है, जिस पर उन्होंने पुक्ता मकान बना रखे हैं। अपीलाधी के पिता प्रभाती पुत्र महादेव सिंह ने लिखतम किया था। अपीलाधी अपने हिस्से में आये भू-खण्ड में हमेशा से अपने परिवार सहित निवासी व काबिज आबाद चला आ रहा है तथा लाखों रुपये खर्च कर नई तामीर करायी है। ग्राम पंचायत मनोहरपुर से विजली नल के लिए नियमानुसार शुल्क जमा कराकर नल विजली कनेक्शन प्राप्त किया है, जिस पर अपीलाधी काबिज रहकर निवास व्यापार व्यवसाय रकता आ रहा है, जिस पर माननीय उप तहसीलदार ने ध्यान ना देकर गलत आदेश पारित किये हैं, जो अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त पट्टाशुदा भूमि ग्रा.पं. की आवासीय भूमि रही है, जिसकी किस्म भू-प्रबन्ध विभाग ने गलत रूप से गै. मु. रास्ता दर्ज कर दिया। पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय नैर कानूनी पारित किया है। अपीलान्त/प्रार्थी को सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना तथा उनके अधिकारों को प्रतिपत्ति का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है, तो विधि सम्मत नहीं है।

जिला कलक्टर साबिक ख न 628 से बना है जो गै. मु. आबादी का भाग रहा है। सैटलमेन्ट की गलती से

पट्टा (जयपुर)

सन्वत 2037 से 56 में गै.मु. रास्ता दर्ज कर दिया। वर्तमान राजस्व नक्शे में आबादी के निशान बने हुए हैं। उक्त भूमि जाधौर के समय से ही आवासीय प्रयोजनार्थ में आ रही है। गिरदावरी सन्वत 2011 में गै.मु. आबादी रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। इस खतरा नम्बर के नजदीक लगभग 100 वर्ष पुरानी धर्मशाला द्वारा कनेटी बनायी जाकर सन् 2020 में प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक उक्त भूमि पर मकान बना होना बताया है तथा इस भूमि के ठीक आगे 40 फिट रास्ता है जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम पुराने समय से दिल्ली रोड के नाम से जाना जाता है। उक्त रोड आवागमन में कोई रुकावट एवं व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रहा है। इसका राजस्व रिकॉर्ड में हाल ख.नं. 993 अंकित है। विवादित ख.नं. 973 साबिक खतरा नम्बर 628 में गै.मु. आबादी का भाग है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मुकदमा जानकारी एवं बिना सीमाज्ञान कर पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत गलत रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्राची के विरुद्ध दिनांक 18/9/2019 को आदेश पारित किये हैं, जो विधि सम्मत एवं कानून सम्मत नहीं है। अतः अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मनोहरपुर द्वारा उक्त आदेश अमान्य करना है।

10. मैलेकार सरकार शाहपुरा द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि पटवारी हल्का मनोहरपुर द्वारा ग्राम मनोहरपुर के आ.ख.नं. 973 किल्ल गै.मु. रास्ता में सन्वत 2020 में गैर साधल श्रीराम जाति महाजन द्वारा ख.नं. 973/07 है। से से 0.0025 है। भूमि पर नाजायज रूप से दुकान बनाकर अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश करने पर तहसीलदार मनोहरपुर (शाहपुरा) ने धारा 91 के तहत कार्यवाही कर मौके से बेदखल करने के तथा लगान का 50 गुना राशि अर्धदण्ड से दिनांक 18/9/2019 को आदेश पारित किये हैं। इसलिए अपीलान्ट/गैर साधल के विरुद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही बेदखली विधि सम्मत है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को खारिज फरमाये।

11. पञ्जावती का अवलोकन किया गया। पञ्जावती पर उपलब्ध साक्ष्य सबूत एवं दस्तावेजात् का अध्ययन कर अवलोकन किया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तो पाया कि पटवारी हल्का द्वारा ग्राम मनोहरपुर के आ.ख.नं. 973 रकबा 0.07 है। से से 0.0025 है। भूमि पर नाजायज रूप से दुकान बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश करने पर उपतहसीलदार मनोहरपुर तहसील शाहपुरा द्वारा एल.आर.एक्ट 1986 की धारा 91 के तहत निर्णय पारित कर दिनांक 18/9/2019 को बेदखली एवं पैन्टली राशि वसूल करने के आदेश पारित हुए हैं। वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम मनोहरपुर का हाल आराजी ख.नं. 973 साबिक ख.नं. 628 से बना है, जो ग्राम पंचायत की आबादी भूमि रही है जिसकी किल्ल भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से गै.मु. रास्ता दर्ज कर दी। उक्त भूमि ख.नं. 973 गै.मु. रास्ता गलत दर्ज होने से पटवारी हल्का ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत रिपोर्ट पेश कर दी उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर बिना साक्ष्य सबूत लिये बिना सीमाज्ञान कराये व पटवारी हल्का से बिना जिरह किये तथा अपीलान्ट 1 के सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मनोहरपुर (शाहपुरा) द्वारा दिनांक 18/9/2019 को निर्णय पारित कर बेदखली के आदेश पारित कर दिये जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत है एवं गैर कानूनी है। ख.नं. 973 में स्थित आबादी भूमि के चट्टे नगरपालिका द्वारा दिनांक 07/3/84 को स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत बन्द भूखण मुफ्त पुत्र प्रभातीलाल व आत्माराम पुत्र प्रभातीलाल मुफ्त के नाम जारी हुए हैं। दिनांक 25/9/2000 के अनुसार श्रीमती प्राची देवी पत्नी प्रभातीलाल मुफ्त अपने वसिहतनामा में अंकन कराया है कि मेरा पति प्रभातीलाल मुफ्त ने मृत्यु से पूर्व एक वसीयत मेरे व मेरे सात पुत्रों के नाम सम्पादित करायी थी अब मैं सातों भाईयों को नक्शे अनुसार एक-एक दुकान व एक-एक मकान समान रूप से वसिहत 25/9/2000 के संलग्न नक्शे अनुसार है जो वैधक सम्पत्ति है। उक्त सम्पत्ति की तामीर के लिए लाखों रुपये लगाकर नई तामीर करायी है, जिसमें मल-बिजली के लिए ग्राम पंचायत से NOC प्राप्त कर कनेक्शन लिए हैं। आज भी उक्त सम्पत्ति पर अपीलान्ट का विरोध रहकर व्यवसाय व्यापार करते आ रहे हैं। उक्त ख.नं. 973 घा.प. की आवासीय भूमि रही है। इसी ख.नं. 973 के पास लगभग 100 वर्ष पुरानी धर्मशाला बनी हुयी है, जो यह इंगित करती है कि पूर्व से ही आबादी भूमि रही है। दुकान के ठीक आगे 40 फिट का आम रास्ता है जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम है जो पुराने समय से दिल्ली रोड के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में उक्त रोड पर कोई रुकावट एवं व्यवधान नहीं है जिसका वर्तमान ख.नं. 993 है। इस प्रकार पटवारी हल्का द्वारा ख.नं. 973 गै.मु. रास्ता में कलजा बताया जाकर धारा 91 की रिपोर्ट पेश की है। उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 18/9/2019 को अपीलान्ट के विरुद्ध आदेश पारित किये हैं यह अमान्य किये जाये।

कि पटवारी हल्का द्वारा ख.नं. 973 के बाबत नाजायज कब्जा रिपोर्ट पेश की है इसके आधार

जिला न्यायालय (जयपुर)

- बेदखली के आदेश पारित किये हैं। अपीलान्त को युजुर्गो के हिस्से बटवारे से उक्त भूमि प्राप्त हुयी है। उक्त ख.नं. में बनी दुकान के आगे लगभग 40 फिट का रोड बना हुआ है, जो PWD के नाम है जिसके ख.नं. 993 है। इस रोड बाबत कोई व्यवधान एवं रूकावट ही नहीं होना वकील अपीलान्त ने जाहिर किया है। इसके अलावा वकील अपीलान्त द्वारा अपनी बहस में जाहिर किया है कि उक्त ख.नं. 973 में ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत उनके भाईयो के नाम से पट्टे जारी हुए है। इससे अलावा ख.नं. 972 गै.मु. आबादी में लगभग 100 वर्ष पुरानी धर्मशाला बनी हुयी है। इससे साबित होता है कि उक्त ख.नं. 973 गै.मु. रास्ता की नहीं रही होगी। उक्त भूमि को आबादी भूमि मानते हैं। उक्त खसरा नम्बर में नगरपालिका मण्डल द्वारा पट्टे जारी किये हैं। उक्त भूमि को आबादी भूमि मानकर नल विजली कनेक्शन हेतु NOC ग्रा.पं. द्वारा जारी की है। उक्त खसरा नम्बर 973 के समीप लगता हुआ ख.नं. 972 में करीब 100 वर्ष पुरानी धर्मशाला बनी हुयी है जो गै.मु. आबादी दर्ज रिकॉर्ड है। इसके साथ ही मौके पर आसपास सघन आबादी क्षेत्र है। इससे जाहिर होता है कि आ.ख.नं. 973 आबादी का भाग रहा है। पटवारी हल्का ने सम्वत 2076 से पूर्व कभी भी धारा 91 के तहत अतिक्रमण बाबत कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है यानि कि पश्चावृती अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। सम्वत 2011 की खसरा गिरदावरी अनुसार साबिक खसरा नम्बर 628 गै.मु. आबादी रास्ता से हाल ख. नं. 973 बनना पाया जाता है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्वत है तथा अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मनोहरपुर (शाहपुरा) द्वारा पारित आदेश 18/9/2019 को अपारत किया जाना उचित प्रतीत होता है।
12. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मनोहरपुर (शाहपुरा) द्वारा पारित आदेश 18/9/2019 ब उनवान सरकार बनाम श्रीराम मु.नं. 05/2019 को अपारत किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। इस आशय की प्रति तहसीलदार शाहपुरा को भिजवायी जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।
13. निर्णय आज दिनांक 24.7.20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(2)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटापानी (शाहपुरा)
पटवारी (शाहपुरा)